रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052024-254145
CG-DL-E-09052024-254145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1873] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2024/वैशाख 19, 1946
No. 1873] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2024/VAISAKHA 19, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2024

सं. 12/2024–25

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 1966(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 और दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

आइटीसी (एचएस) कोड और मद विवरण	मौजूदा नीतिगत षर्त	संषोधित नीतिगत षर्त
07131010 -- पीली मटर	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12. 2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **30 जून, 2024** या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्तूबर, 2024** को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्तूबर, 2024** के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्तूबर, 2024** या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।

अधिसूचना का प्रभावः आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 अक्तूबर, 2024** को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/भाग–VI/ई–9019]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2024

No.12/2024-25

Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC (HS) 2022, Schedule –I(Import Policy) –reg.

S.O. 1966(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification Nos. 50/2023 dated 08.12.2023, 61/2023 dated 23.02.2024 and 04/2023 dated 05.04.2024, the Central Government hereby amends Import Policy Conditions for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) as under:-

ITC(HS) Code & Item Description	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07131010--Yellow Peas	a) Import is 'Free' without the MIP condition and without Port Restriction, for Import consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) has been issued on or before **30th June 2024**. b) Imports where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued after **30th June 2024** shall be 'Restricted' and associated Import Policy Conditions as existing prior to the DGFT Notification 50/2023 dated 08.12.2023 shall come into force. c) All imports of Yellow Peas where Bill of Lading (Shipped on Board) is dated on or before **30th June 2024** shall be subject to compulsory registration under the online Import Monitoring System.	a) Import is 'Free' without the MIP condition and without Port Restriction, for Import consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) has been issued on or before **31st October 2024**. b) Imports where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued after **31st October 2024** shall be 'Restricted' and associated Import Policy Conditions as existing prior to the DGFT Notification 50/2023 dated 08.12.2023 shall come into force. c) All imports of Yellow Peas where Bill of Lading (Shipped on Board) is dated on or before **31st October 2024** shall be subject to compulsory registration under the online Import Monitoring System

Effect of the Notification: Import of Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to registration under online Import Monitoring System, with immediate effect for all import consignments where Bill of Lading(Shipped on Board) is issued on or before **31st October 2024.**

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.09 22:20:48 +05'30'